

प्रेस-विज्ञप्तिथाना- जीयनपुरगोवध निवारण अधि0 से सम्बन्धित अभियुक्त गिरफ्तार, एक अदद पिकप योद्धा व एकअदद गोवंशीय पशु (गाय) बरामद

गोवध निवारण अधि0 से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में चलाये गये अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में दिनांक 01.03.2021 को उ0नि0 अखिलेश चन्द्र पाण्डेय मय हमराह के देखभाल क्षेत्र व तलाश वांछित वारण्टी अंजान शहीद बाजार में थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि ग्राम छिही छिछोरी की तरफ से एक पिकप में कुछ लोग गोवंशीय पशु को पिकप से लेकर वध करने हेतु लेकर जायेगे। मुखबिर कि इस सूचना पर विश्वास करके उप निरीक्षक मय हमराह व सरकारी वाहन मय मुखबिर के अंजान शहीद से प्रस्थान कर अशरफपुर मोड़ तिराहा पर सरकारी वाहन को छिपाकर अशरफपुर मोड़ पर अपने आप को छिपते छिपाते हुए आने वाले पिकप वाहन का इंतजार करने लगे कि कुछ ही देर में एक पिकप वाहन आता हुआ दिखाई दिया कि मुखबिर खास ने इशारा करके हट बढ़ गया कि जैसे ही उक्त पिकप वाहन अशरफपुर मोड़ तिराहे के करीब पहुँचा कि पुलिस टीम टार्च की रोशनी में रुकने का इशारा किये तो तिराहे से दस कदम पहले चालक के बगल बैठा हुआ व्यक्ति पिकप का गेट खोलकर खेतो की तरफ भाग गया तथा उ0नि0 मय हमराह के एक बारगी घेरकर पिकप वाहन के चालक को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो अपना नाम इब्राहिम हासमी पुत्र इसराइल नि0 चित बड़ागांव थाना चित बड़ागांव जनपद बलिया बताया तथा भागे हुये व्यक्ति का नाम पूछने पर उसका नाम छोटे मिया अहमद पुत्र किताबू अहमद निवासी चित बड़ागांव थाना चित बड़ागांव जनपद बलिया बताया , भागने का कारण पूछने पर बताया कि साहब हम लोग छुट्टे पशुओ को पकड़ कर उसका वध कर बेचने का कार्य करते हैं आज भी एक गाय को लेकर वध करने हेतु लेकर जा रहे थे कि आप लोगो ने पकड़ लिया जो व्यक्ति भागा है वह मेरा मालिक है। पिकप के पीछे का डाला खोलकर देखा गया तो उस पर एक अदद गोवंशीय पशु (गाय) लदी हुई है। जिसकी मुंह व पैर को रस्सी से बांधा गया है तथा मुंह से झाग आ रही है तथा शरीर में चोट के निशान भी है। गोवंशीय पशु (गाय) की रस्सियो को खोला गया, तथा चालक से वाहन के कागजात तलब किये गये तो नहीं दिखा सका। वाहन उपरोक्त धारा 207 MV Act में सीज किया गया। तथा वाहन के नम्बर के बारे में पूछा गया तो बताया कि नम्बर हम लोग खुरच दिये है कि जिससे पकड़े न जाए तथा इंजन व चेचिस नं0 देखा गया तो चेचिस नं0 MAT464607KSH10568 व इंजन नं0 TANUAL No 0008, टाटा योद्धा अंकित है। अभियुक्त का यह कार्य अन्तर्गत धारा 3/5 A/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 च पशु क्रूरता अधिनियम का अपराध है। अतः कारण गिरफ्तारी बताकर समय 19.05 बजे अभियुक्त को हिरासत पुलिस में लिया गया तथा वाहन को कब्जे पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 73/2021 धारा 3/5 A/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 च पशु क्रूरता अधिनियम IPC पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

**पंजीकृत अभियोग**

मु0अ0सं0 73/2021 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 च पशु क्रूरता अधिनियम **IPC**

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

इब्राहिम हासमी पुत्र इसराइल नि0 मानपुर थाना चित बड़ागांव जनपद बलिया उम्र 21 वर्ष

**बरामदगी-**

एक अदद पिकप योद्धा व एक अदद गाय व एक अदद रस्सी

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 अखिलेशचन्द्र पाण्डेय थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 गुलशन यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. का0 मनोज कुमार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़